रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273083
CG-DL-E-03062026-273083

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948
No. 364] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.145.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के :-

(i) खंड (ग) में, "बोर्ड द्वारा संहिता की धारा 220(1) के अधीन गठित पूर्णकालिक सदस्य(सदस्यों) की एक समिति अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर "ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसमें संहिता की धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन यथा-उपबंधित एक या उससे अधिक व्यक्ति शामिल हों" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (ग) के परन्तुक में, "पूर्णकालिक सदस्य" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा ।

(iii) खंड (ञ) में, "से दिवाला वृत्तिक अभिकरण, दिवाला वृत्तिक, दिवाला वृत्तिक इकाई या सूचना उपयोगिता अभिप्रेत है" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर "का वही अर्थ होगा जो संहिता की धारा 3 के खंड (31क) में दिया गया है" शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (3) के खंड (ग) में, "कोई भी कार्रवाई" शब्दों के पश्चात् "या निदेश" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

4. मूल विनियमों के विनियम 14 के उप-विनियम (1) में, "कोई निदेश जारी किया गया है" शब्दों से पूर्व "अनुशासनात्मक समिति द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

5. मूल विनियमों के विनियम 14 के उप-विनियम (3) में "प्ररूप क" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल विनियमों में, अध्याय 5 के पश्चात्, प्ररूप क का लोप किया जाएगा ।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./134/2026-27]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 239, तारीख 12 जून, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.011 द्वारा तारीख 14 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 79, तारीख 28 जनवरी, 2025 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./ 2024-25/जी.एन./आर.ई.जी./118, तारीख 29 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किए गए थे ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2026-27/GN/REG145.— In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in sub-regulation (1) of regulation 2:-

(i) In clause (c), for the words "of whole time member(s) constituted by the Board" the words "consisting of one or more persons as provided" shall be substituted.

(ii) In the proviso to clause (c), for the words and the marks "whole time member(s)" the word and the marks "person(s)" shall be substituted.

(iii) In clause (j), for the words "means insolvency professional agency, insolvency professional, insolvency professional entity or information utility" the words, marks and numerical "shall have the same meaning as assigned in clause (31A) of section 3 of the Code" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in clause (c) of sub-regulation (3) of regulation 13, after the words "any of the actions" the words "or directions" shall be inserted.

4. In the principal regulations, in sub-regulation (1) of regulation 14, after the words "direction has been issued" the words "by the Disciplinary Committee" shall be inserted.

5. In the principal regulations, in sub-regulation (3) of regulation 14, for the words "Form A" the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

6. In the principal regulations, after Chapter V, "Form A" shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./134/2026-27]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017 were published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG011 on 12th June, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 239 dated 14th June, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2025 published *vide* Notification No. IBBI/2024-25/GN/REG118, dated the 28th January, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 79 on 29th January, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.03 10:59:42 +05'30'